न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 156/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/217)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. हरजिन्द्र कौर पत्नी निर्मल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जगतार सिंह पुत्र ठाकर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.06.2025

उपस्थितः 1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी
2.श्री विनय कुमार गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

दिनांकः18.08.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/08 के मुरब्बा नम्बर 3, 6, 12, 54, 59, 68/21 की कुल 6.772 हैक्टेयर भूमि में वादी कुलदीप सिंह के नाम व राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 के मुरब्बा नम्बर 51, 57, 68/20 की कुल 4.025 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरजिन्द्र कौर के नाम तथा राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 4, 41, 46, 47, 51, 52, 53, 68/11 की कुल 11.506 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जगतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त सहूलियत के लिए पंचायत द्वारा लिखित बंटवारानामा दिनांक 26.05.2025 को निष्पादित करवाया गया है। मुताबिक बंटवारानामा प्रतिवादी संख्या 2 जगतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16, 23, 24 की कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि वादी कुलदीप सिंह को प्राप्त होगी व वादी कुलदीप सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/08 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 10 की कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जगतार सिंह को प्राप्त होगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 हरजिन्द्र कौर के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 18 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि वादी कुलदीप सिंह को प्राप्त होगी एंव प्रतिवादी संख्या 1 हरजिन्द्र कौर के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2/1 की 0.012 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/1 की 0.192 हैक्टेयर, किला नम्बर 9, 12, 19, 22 प्रत्येक सालम- सालम, किला नम्बर 25/1 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.343 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जगतार सिंह को प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 2/3 की 0.076 हैक्टेयर कुल 1.343 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरजिन्द्र कौर को प्राप्त होगी। उक्त बंटवारानामा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी वादगत भूमि विनिमय/लिखित बंटवारानामा की रूह से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा डायरी से दो दिन पूर्व वादी, प्रतिवादीगण से मिला और उनसे विनिमय व लिखित बंटवारानामा अनुसार भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही

सहायक कलक्टर एंव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को लिखित बंटवारानामा दिनांक 26.05.2025 के मुताबिक खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर हम प्रतिवादीगण को मुताबिक राजीनामा दिनांक 26.05.2025 अनुसार प्राप्त भूमि का खातेदार मालिक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किए जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को वादी का वादपत्र व वादी को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम, बंटवारानामा दिनांक 26.05.2025 के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी कुलदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह को राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16, 23, 24 की कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 18 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 1 हरजिन्द्र कौर पत्नी निर्मल सिंह को राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 2/3 की 0.076 हैक्टेयर कुल 1.343 हैक्टेयर भूमि का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 2 जगतार सिंह पुत्र ठाकर सिंह को राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2/1 की 0.012 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/1 की 0.192 हैक्टेयर, किला नम्बर 9, 12, 19, 22 प्रत्येक सालम- सालम, किला नम्बर 25/1 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.343 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/08 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 10 की कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner